संख्या-182/2025/3000/26-3-2025-CN-1850307

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-107-03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओ एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिए अनुदान -31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद तथा मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1804.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 902.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1265/स0क0/अनुदान/प्रा0शि0सं0/2025-26, दिनांक 04-11-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-107-03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओ एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिए अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद तथा मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1804.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 902.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-92/2025/988/26-3-2025-1397413, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1804.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 902.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-107-03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओ एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिए अनुदान -31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1789.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 894.50 लाख तथा मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 7.50 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0 902.00 लाख (रू0 नौ करोड़ दो लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट

उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5)-यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8)-बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता एवं शुद्धता का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(11)-**उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं विस्तृत व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाए।**

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021070300 मान्यता प्राप्त निजी संस्थांओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 8,94,50,000 (रुपये आठ करोड़ चौरानबे लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021070300 मान्यता प्राप्त निजी संस्थांओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHR.
Date: 05-12-2025
18:28:48

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव